



## कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम

राजस्थान आवासन मण्डल, सेक्टर-05, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर  
(urban.rajasthan.gov.in/rhb; E-mail ID: dhcjr1.rhb@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : RE-III/JPR/2023-24/158

दिनांक : 25/05/2023

### कार्यालय आदेश

राज आंगन योजना, सेक्टर-24 प्रताप नगर जयपुर में NRI क्लब-21 की सदस्यता एवं संचालन सम्बन्धी विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श हेतु आवासन आयुक्त एवं अध्यक्ष "कार्यकारी समिति", क्लब-21 की अध्यक्षता में दिनांक 05.05.2023 को बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण क्रमांक: RE-III/JPR/2023-24/122 दिनांक 09.05.2023 अनुसार लिये गये निर्णयों की अनुपालना में विभिन्न श्रेणियों में निम्नानुसार सदस्यता प्रदान की जाती है :-

1. राज आंगन योजना के आवंटियों को NRI क्लब-21 की सदस्यता दिये जाने के लिए संलग्न सूची-1 अनुसार प्राप्त कुल 168 आवेदन पत्रों के आवेदकों को सदस्यता प्रदान की जाती हैं।
2. एसोसिएट मेम्बरस को NRI क्लब-21 की सदस्यता दिये जाने के लिए (संलग्न सूची 2-A से 2-F के अनुसार) कुल 610 आवेदकों को सदस्यता प्रदान की जाती हैं।
3. कॉर्पोरेट मेम्बरस को NRI क्लब-21 की सदस्यता दिये जाने के लिए (संलग्न सूची 3 के अनुसार) कुल 31 आवेदकों को सदस्यता प्रदान की जाती हैं।
4. राजस्थान आवासन मण्डल के वर्ष 2007 से पूर्व के अधिकारी/कार्मिक आवेदक /वर्तमान में कार्यरत व मण्डल में प्रतिनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों/नगरीय विकास विभाग में कार्यरत (केवल सचिवालय) में पदस्थ एवम् मण्डल के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची इस प्रकार है :-
  - (i) राजस्थान आवासन मण्डल के (संलग्न सूची 4-A के अनुसार) 39 कार्मिकों जिन्होंने वर्ष 2007 से पूर्व क्लब की सदस्यता के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे उन सभी को NRI क्लब-21 की सदस्यता प्रदान की जाती हैं।
  - (ii) वर्तमान में कार्यरत व मण्डल में प्रतिनियुक्त कार्मिकों/नगरीय विकास विभाग में कार्यरत (केवल सचिवालय) में पदस्थ (संलग्न सूची 4-B के अनुसार) 111 आवेदकों को NRI क्लब-21 की सदस्यता प्रदान की जाती है।
  - (iii) मण्डल के सेवानिवृत्त कार्मिकों के (संलग्न सूची 4-C के अनुसार) 30 आवेदकों को NRI क्लब-21 की सदस्यता प्रदान की जाती है।
5. मण्डल में वर्ष-2008 से माननीय अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त पद पर पदस्थपित रहे (संलग्न सूची 5-A व 5-B के अनुसार) कुल 27 जनप्रतिनिधियों /अधिकारियों को NRI क्लब-21 की सदस्यता प्रदान की जाती हैं।
6. ऑनररी मेम्बरस को (संलग्न सूची 6 के अनुसार) कुल 14 आवेदकों को NRI क्लब-21 सदस्यता प्रदान की जाती हैं।

(कै.सी. ढाका)

सदस्य, सचिव कार्यकारी समिति  
क्लब-21 उप आवासन आयुक्त  
वृत्त-प्रथम, रा0आ0मं0, जयपुर

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-**

1. निजी सचिव-आवासन आयुक्त व अध्यक्ष क्लब-21, राजस्थान आवासन मण्डल , जयपुर।
2. मुख्य अभियंता-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता -प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- ✓ 8. आवासीय अभियंता खण्ड-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. नोटिस बोर्ड NRI क्लब-21।
10. रक्षित पत्रावली



(एस.सी.यादव)

सदस्य, कार्यकारी समिति क्लब-21

आवासीय अभियंता

खण्ड-तृतीय, रा0आ0मं0, जयपुर